



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी -247 667
दूरभाष : 01332-266370, 266371 फ़ैक्स 266349 Website: www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक/प्रधानाचार्य,
जे०बी० इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी,
शंकरपुर, चकराता रोड, देहरादून।

संस्था कोड - 087

पत्र संख्या : 170-319/उ.प्रा.शि.प./ए.आई.सी.टी.ई./सम्ब./2020-21 दिनांक 30-06-2020

विषय:- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /17003492599/2020/EOA दिनांक 15 जून 2020 के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Mechanical Engineering	Diploma	60	2 nd	03 years	2020-21
Civil Engineering	Diploma	60	2 nd	03 years	2020-21
Electrical Engineering	Diploma	60	2 nd	03 years	2020-21


शर्त :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- शासनादेश संख्या : 239/xxx(15)G-04(सा०)/2020 सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक 02 मई 2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव हेतु संस्थानों साफ-सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxylenol parachlorometaxyleneol (PCMX) का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ि रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों/मेजों, पूछताछ/कैश काउण्टर्स दीवारों/सतहों, लिफ्ट, सभाग बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वाटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य किया जाए।
- प्रत्येक दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा संस्थानों के फर्श, गलियारे तथा बार शौचालयों, सिंक आदि को सेनेटाइज किया जाए।
- पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए। टैंक में रुके हुए पानी निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाए।

6. सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर hand sanitizer/hand wash की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्थान में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। शौचालयों में लिक्विड साप, टिशू पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की-बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात् अपने हाथों को मलि-भांति sanitize करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।
7. संस्थानों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ-सफाई कर रख-रखाव किया जाये। किसी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये।
8. प्रत्येक परिसर/संस्थान, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। भीड़-भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. संस्थानों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
11. संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारु व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
13. सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे- Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
14. कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
15. संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
16. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
18. प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
19. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
20. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
21. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


22. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे।
23. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
24. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
25. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
26. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स-2020 के अन्तर्गत आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
27. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
28. संस्थान परीक्षाओं को सुचारु, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
29. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51 /2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रू0 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदनुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमित: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।


(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।


(हरि सिंह)
सचिव